

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1121/1406/2021/17/Medi-2

भोपाल, दिनांक 31-मई, 2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

मध्यप्रदेश।

विषय:- निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था।

आपको विदित है कि कोविड-19 विधि के प्रावधानों के अनुरूप एकेडमिक घोषित है और इसके इलाज के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

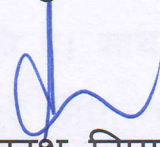
2- कोविड-19 का इलाज आयुष्मान द्वारा अनुबंधित चिकित्सालयों में भी किया जा रहा है और इसके लिए राज्य शासन ने आयुष्मान के पैकेज का निर्धारण किया है। जिलों से अपेक्षा की गई है कि आयुष्मान भारत निरामयम के पात्र हितग्राहियों का इलाज आयुष्मान भारत निरामयम से अनुबंधित चिकित्सालयों में कराया जाना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इन हितग्राहियों से कोई भुगतान चिकित्सालयों द्वारा न लिया जाये।

3- निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के इलाज की दरों का निर्धारण समय-समय पर राज्य शासन ने किया है और ऐसे सभी चिकित्सालयों ने इलाज की दर सार्थक पोर्टल पर घोषित की है। साथ ही चिकित्सालयों में भी इन दरों का प्रदर्शन किया गया है। दरें निर्धारण के समय-समय पर जारी आदेशों को संशोधित करते हुए राज्य शासन ने अपने आदेश क्रमांक 862/2021/17/....2, दिनांक 30.05.2021 से दरों की सीमा का निर्धारण

आदेश में उल्लेख किया है कि किसी भी परिस्थिति में ये दरें उनके द्वारा दिनांक 19 अप्रैल की स्थिति में सार्थक पोर्टल पर बताई गई दरों से ज्यादा नहीं पायेंगे। कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपेक्षा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

4- राज्य शासन ने यह निर्णय भी लिया है कि ऐसे निजी चिकित्साल, जो कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, को युक्तियुक्त किया जाये तथा केवल ऐसे चिकित्सालयों को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया जाये जो केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज करने में सक्षम हो। राज्य शासन ने यह निर्णय भी लिया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए पूर्व में जारी अथोराइजेशन दिनांक 10 जून, 2021 को समाप्त हो जाएंगे और जिन अस्पतालों में आगे भी कोविड-19 का इलाज जारी रखा जाना हो उन्हें 10 जून, 2021 से पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पृथक से अथोराइजेशन लेना होगा व सार्थक पोर्टल के नये क्रेडेन्शियल प्राप्त करना होंगे। तदनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सार्थक पोर्टल पर कोविड-19 के इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति भी संशोधित करना होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।



(आकाश त्रिपाठी)

सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग